न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 158/2011/75 एलआर एक्ट

1. अब्दुल हक पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सुभान मोहम्मद पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. गुलाम मोहम्मद पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. गुलाम फरीद पुत्र दीवान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. यासीन पुत्र दीवान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. अब्दुल गली पुत्र दीवान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. अब्दुल जवार पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. कुरसैद पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.08.11 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 65/2007 अनवानी दीवान बनाम अब्दुल हक आदि

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री बहादूरराम स्वामी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांक –26.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के पिता दीवान पुत्र कमाल ने न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र

रास्ता उपनिवेशन शर्ते 8(2) के तहत इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया किया चक 12 आरपी प.न. 148/365 मु.न. 7 कि.न. 2 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 कुल 16 बीघा खातेदारी भूमि है इसके साथ चिपती प.न. 149/365 मु.न. 12 कि.न. 18 ता 23 प.न. 149/366 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 10 कुल 12 बीघा भूमि अपीलांट/अप्रार्थीगण की है। प्रार्थना पत्र मे कथन किया गया कि उक्त कि.न. 21 ता 23 मे से ही प्रार्थी की ढाणी मे जाने हेतु सुविधाजनक रास्ता है। ढाणी मे आने जाने हेतु उक्त किलो मे 2–2 बिस्वा रास्ता मंजूर करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया। अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए प्रश्नगत भूमि मे कोई रास्ता स्वीकृत व चालू नही है। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 की कृषि भूमि चक 12 आरपी प.न. 148/365 कि.न. 21 व 22 मे पूर्व से पश्चिम की तरफ रास्ता मंजूरशुदा है व उक्त रास्ता पत्थर लाईन पर स्थित है। उत्तर से दक्षिण मुख्य रास्ता से मिलता है जिसमे होकर आते जाते रहते है व वर्तमान मे उक्त रास्ता मंजूरशुदा व चालू है।

2. अपीलांट ने रेस्पो0 सं. 1 ता 3 की भूमि मे से रेस्पो0 सं. 1 की भूमि चक 11 आरपी प.न. 149/365 मु.न. 12 कि.न. 24 एवं अन्य काश्तकार मुहम्मद अली पुत्र रमजान के कि.न. 25 मे से रास्ता स्वीकृत कराने हेतु एक अन्य प्रार्थना पत्र अब्दुल हक बनाम गुलाम फरीद प्रस्तुत कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 के पिता दीवान दोनो प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.05 को खारिज कर दिये गये है जिसके विरूद्ध श्रीमान न्यायालय मे अपील दीवान बनाम अब्दुल हक व अब्दुल हक बनाम गुलाम फरीद प्रस्तुत की गयी जो दीवान के प्रार्थना पत्र पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त दोनो अपीले राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर मे सुनवायी हेतु स्थानान्तरित कर दी व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील दीवान बनाम अब्दुल हक अपील सं. 195ए/06 व अपील अब्दुल हक बनाम गुलाम फरीद अपील सं. 2ए/06 दिनांक 26.02.07 को निर्णित की जाकर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि विचारण न्यायालय ने रास्ता के औचित्य के संबंध मे कोई निष्कर्ष नही दिया है व रास्ता के आवश्यकता को ध्यान मे नही रखा गया है व

उपखण्डाधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण नही किया गया है व उक्त निर्देशो की पालना हेतु पत्रावली पुनः रिमाण्ड की गयी। पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया व अपीलांट के प्रार्थना पत्र अब्दुल हक बनाम गुलाम फरीद प्रार्थना पत्र सं. 66/07 व रेस्पो के प्रार्थना पत्र दीवान बनाम अब्दुल हक प्रार्थना पत्र सं. 65/07 दोनो मे मांगे गये रास्ता स्वीकृत किए है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4व5 की कृषि भूमि चक 11 आरपी प.न. 149/365 मु.न. 12 कि.न. 21 ता 23 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया है जबकि रेस्पो0 की भूमि मे जाने हेतु पूर्व मे ही रास्ता उपलब्ध है। परन्तु उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुये रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत बिना कोई जांच किये व विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विरूद्ध पारित किया गया है। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 की भूमि चक 12 आरपी प.न. 148/365 मु.न. 7 कि.न. 25 मे रेस्पो0 ने अपनी ढाणी होने का प्रार्थना पत्र मे कथन किया है व ढाणी मे जाने हेतु अपीलांट की भूमि चक 11 आरपी के प.न. 149/365 कि.न. 21 ता 23 मे रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया व रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र व निर्णय मे यह स्पष्ट कथन है कि ढाणी मे जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जावें। जबकि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के शर्तो मे कृषि भूमि मे जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान है जबकि ढाणी मे जाने हेतु सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नही है। रेस्पो0 की भूमि चक 12 आरपी प.न. 148/365 मु.न. 7 मे तदादी 16 बीघा मे जाने हेतु पूर्व मे ही चक 12 आरपी के प.न. 148/365 मु.न. 7 कि.न. 21 व 22 मे रास्ता स्वीकृत है व उक्त रास्ता पत्थर लाईन 147 पर स्थित उतर से दक्षिण मुख्य रास्ता से मिलता है। भूमि मे जाने हेतु पूर्व मे रास्ता स्वीकृत होने के कारण पुनः नया रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक स्थिति को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे संलग्न रिपोर्ट पटवारी, रिपोर्ट कमीश्नर व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई विवेचन किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशो की कोई पालना नही की गई है। अपीलाधीन निर्णय मे यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि रास्ता के औचित्य व रास्ता की आवश्यकता का ध्यान रखे एवं पक्षकारो को जाने व आने हेतु अन्य रास्ता है या नही की जांच करे/रेस्पो0 की कृषि भूमि मे जाने हेतु पूर्व मे ही रास्ता स्वीकृत है। इसलिए केवल मात्र ढाणी मे जाने हेतु सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा करके निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2011 को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के पिता दीवान द्वारा अपनी कृषि भूमि के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की कृषि भूमि चक 11 आरपी प.न. 149/365 कि.न. 21 ता 23 मे से रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर रेस्पो0 की पिता की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करने का अन्य प्रकरण सं. अब्दुल हक बनाम गुलाम फरीद प्रस्तुत करने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 के पिता दीवान दोनो प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.05 को खारिज कर दिये गये है जिसके विरूद्ध श्रीमान न्यायालय मे अपील दीवान बनाम अब्दुल हक व अब्दुल हक बनाम गुलाम फरीद प्रस्तुत की गयी जो दीवान के प्रार्थना पत्र पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त दोनो अपीले राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर मे सुनवायी हेतु स्थानान्तरित कर दी व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील दीवान बनाम अब्दुल हक अपील सं. 195ए/06 व अपील अब्दुल हक बनाम गुलाम फरीद अपील सं. 2ए/06 दिनांक 26.02.07 को निर्णित की जाकर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि

विचारण न्यायालय ने रास्ता के औचित्य के संबंध मे कोई निष्कर्ष नही दिया है व रास्ता के आवश्यकता को ध्यान मे नही रखा गया है व उपखण्डाधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण नही किया गया है व उक्त निर्देशो की पालना हेतु पत्रावली पुनः रिमाण्ड की गयी। पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया व अपीलांट के प्रार्थना पत्र अब्दुल हक बनाम गुलाम फरीद प्रार्थना पत्र सं. 66/07 व रेस्पो के प्रार्थना पत्र दीवान बनाम अब्दुल हक प्रार्थना पत्र सं. 65/07 दोनो मे मांगे गये रास्ता स्वीकृत किए है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4व5 की कृषि भूमि चक 11 आरपी प.न. 149/365 मु.न. 12 कि.न. 21 ता 23 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलांट के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये निर्णय के विरूद्ध अन्य अपील गुलाम फरीद बनाम अब्दुल हक प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये अपीलांट की भूमि मे से विधिसम्मत रूप से रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4व5 की कृषि भूमि चक 11 आरपी प.न. 149/365 मु.न. 12 कि.न. 21 ता 23 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांट का तर्क है कि उक्त रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था तथा इसी वैकल्पिक रास्ता से आवागमन करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय वैकल्पिक रास्ता के होते हुए भी प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। जबकि रेस्पो0 का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय इसी प्रार्थना पत्र के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र बअनवानी अब्दुल हक बनाम गुलाम फरीद मे रेस्पो0 सं. 1 की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया है जिसकी अपील भी रेस्पो0 सं. 1 ने पेश की हुई है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अनवानी दीवान बनाम अब्दुल हक मे निर्णय दिनांक 11.08.2011 के जरिये अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4व5 की कृषि भूमि चक 11 आरपी प.न. 149/365 मु.न. 12 कि.न. 21 ता 23 मे 2–2 मे

रास्ता स्वीकृत किया है तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र अनवानी अब्दुल हक बनाम गुलामफरीद मे निर्णय दिनांक 11.08.11 के जरिये रेस्पो0 सं. 1 की चक 11 आरपी के प.न. 149/365 मु.न. 12 कि.न. 24 मे से व अन्य काश्तकार मुहम्मद अली पुत्र रमजान के कि.न. 25 मे से रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार दोनो प्रार्थना पत्र मे रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमे से अपीलांट के किलो मे 2–2–2 बिस्वा तथा रेस्पो0 के कि.न. 1 मे रास्ता स्वीकृत किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन शर्ते 8(2) के तहत प्रस्तुत किया गया जबकि रास्ता के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के तहत रास्ता स्वीकृति हेतु प्रावधान किये गये जिसके अनुसार स्वीकृत रास्ता भूमि के ऐवज भूमि डीएलसी दर की दुगुनी राशि अथवा भूमि दिये जाने के प्रावधान किये गये है। इसलिए स्वीकृत रास्ता भूमि के ऐवज अपीलांट 2 किला यानि 2–2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा भूमि या डीएलसी दर की दुगुनी राशि रेस्पो0 से लेने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2011 मे संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2011 मे संशोधन किया जाता है कि रेस्पो0 को आदेशित किया जाता है कि स्वीकृत रास्ता भूमि 4 बिस्वा की ऐवज मे रेस्पोडेंटस गुलाम फरीद आदि डीएलसी रेट की दुगुनी राशि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 व 5 को भुगतान करने हेतु तहसील कार्यालय हनुमानगढ़ मे जमा करवावें तथा तहसीलदार हनुमानगढ़ उक्त जमाशुदा राशि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 व 5 को भुगतान करने की कार्यवाही करें तथा रेस्पोडेंटस गुलाम फरीद आदि द्वारा उक्तानुसार डीएलसी राशि जमा करवाने के उपरांत रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड मे किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़